न्यायालय : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस जिला सीकर

तारीख हुक्म	रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या 260/2016 श्यामसुन्दर बनाम बजरंगलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.03.2026	परिवादी के अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता आवेदन अन्तर्गत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पेश किया गया, जिसका परिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया गया। बहस आवेदन उभयपक्ष सुनी गई। इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जा रहा है। दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने उक्त आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा यह भी तर्क दिया गया कि हस्तगत प्रकरण परिवादी ने जानबूझकर प्रार्थी से नाजायज रूपये हडपने की नियत से कथित 02 चैक के 02 चैक अनादरण के प्रकरण प्रार्थी के विरूद्ध पेश किये गये है बल्कि 02 अन्य कथित चैक के मुकदमें परिवादी ने ही आपसी मिलीभगत एवं षडयंत्र करके दीगर व्यक्ति श्यामसुन्दर के माध्यम से उनको डमी कन्डीडेट बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर रखे है। एनआई एक्ट में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधान धारा 5, 6, 15, 56, 87 के तहत विधित है कि कथित आक्षेपित चैक की समस्त इबारत मय हस्ताक्षर की फर्जकारी नहीं की जा सकती है। कथित चैक प्रदशपी 1 पर प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई हस्तलेख अथवा हस्ताक्षर नहीं है। परिवादी ने जानबूझकर स्वयं के द्वारा चैक पर समस्त इबारत सहित हस्ताक्षर की फर्जकारी की है। यहां उल्लेखनीय है कि कथित नोटिस, परिवाद, शपथ पत्र, मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में कथित चैक प्रदर्शपी 1 का दुरूपयोग किया जाना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्वीकृत है। परिवादी ने केवल स्वयं बल्कि अन्य से मिलीभगत कर प्रार्थी के कथित 04 चैक का गम्भीर फर्जजारी करते हुये प्रार्थी की कोई देनदारी बहक परिवादी ना होते हुये भी 04 झूंठे प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से आवेदन स्वीकार किया जाकर चैक प्रदर्शपी 1 की समस्त इबारत एवं हस्तलेख की जांच हस्तालेख विशेषज्ञ विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से करवाई जाकर जांच रिपोर्ट रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश फरमावे। हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच करवाये जाने का खर्चा प्रार्थी/अभियुक्त वहन करने को तैयार है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2008 सुप्रीमकोर्ट पेज 2010 पेश किया गया है। इसके विपरीत दौराने बहस परिवादी की ओर से उक्त प्रार्थना	

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस, जिला सीकर

तारीख हुक्म	रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या 260/2016 श्यामसुन्दर बनाम बजरंगलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी हु

पत्र का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि आरोपी द्वारा उक्त विवादित चैक की सदैव जानकारी रही है तथा आरोपी द्वारा अपने हस्ताक्षर से उक्त चैक को परिवादी को दिया गया है। परिवादी द्वारा प्रदर्शपी 1 का दुरूपयोग नहीं किया गया है। आरोपी के द्वारा उक्त आवेदन दुराशय से ग्रसित होकर प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। आरोपी के द्वारा पूर्व में कभी भी न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन अपने आवेदन में अंकित तथ्यों के आधार पर दर्ज नहीं करवाया है एवं ना ही कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतः आरोपी का आवेदन सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अनुशीलन एवं परिशीलन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्वान्त का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत आवेदन अन्तर्गत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पत्रावली में प्रस्तुत कथित चैक की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच करवाने हेतु पेश किया गया है जिसके सम्बन्ध में आरोपी का यह कथन रहा है कि उक्त कथित चैक का गम्भीर फर्जकारी करते हुये प्रार्थी/अभियुक्त की कोई देनदारी ना होते हुये भी झूंठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अतः कथित चैक की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से करवाई जावे।

सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण परिवादी के द्वारा अभियुक्त द्वारा उसे दिये गये चैक अनादृत होने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज करवाया गया है। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 118 व 139 के तहत परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा है कि यदि अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षरशुदा चैक परिवादी को प्रदत्त किया जाता है तो यह उपधारणा की जावेगी कि उक्त चैक किसी बकाया ऋण की अदायगी व विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु ही जारी किया गया है। अभियुक्त का यह कथन रहा है कि परिवादी द्वारा कथित चैक का दुरूपयोग कर उसके विरूद्ध उपयोग में लिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही संस्थित की गई हो, ऐसी भी कोई सुदृढ दस्तावेज/या कथन अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र प्रकरण में विलम्ब कारित

सपना रोहिला
मजिस्ट्रेट
रींगस, ...

तारीख हुक्म	रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या 260/2016 श्यामसुन्दर बनाम बजरंगलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने के आशय से हस्तगत आवेदन पेश किया जाना दृष्टिगत होता है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में अपना पक्ष पेश करने का समुचित अवसर अभियुक्त को प्राप्त होगा। इस स्तर पर कथित चैक की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच करवाये जाने का कोई युक्तियुक्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते परिवादी साक्ष्य से जिरह हेतु दिनांक 6-4-26 को पेश हो। [illegible] अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस, जिला-सीकर	